HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1463/2026

1. Shivraj S/o Shri Babulal, Aged About 22 Years, R/o Khatikon Ka Mohalla, Ward No. 2, Kankra, Police Station Dantaramgarh, District Sikar.
2. Priyanshu @ Kanaram S/o Late Narendra Kumar, Aged About 20 Years, R/o Balaiyon Ka Mohalla, Ward No. 5, Khud, Police Station Losal, District Sikar.

(Accused Petitioners Presently Confined In District Jail Sikar)

----Accused-Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4627/2026

Ravi Kumar @ Varun S/o Shri Om Prakash, Aged About 28 Years, R/o Khatiko Ka Mohalla, Ward No. 1, Kankra, Police Station Dantaramgarh, District Sikar (Raj.)
(At Present Confined In District Jail Sikar).

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Aradhana Swami Mr. Anil Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP Mr. Nitin Kumar Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Order

09/06/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना दांतारामगढ़ जिला सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्या 219/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 109(1), 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि इस प्रकरण में कुल 8 साक्षी परीक्षित हुए हैं, वे सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। परिवादी मनोज कुमार और चश्मदीद साक्षी रिछपाल वर्मा अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शिवराज तथा प्रियांशु दिनांक 14.06.2025 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त रवि कुमार दिनांक 16.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। मुख्य अभियुक्त कमल कुमार खींची उर्फ कमलेश का एकलपीठ आपराधिक विविध द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1462/2026 आदेश दिनांक 04.05.2026 को इस न्यायालय की समक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा अन्य सहअभियुक्तगण रोहित व अजय के जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश दांतारामगढ़ जिला सीकर, राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2026 को स्वीकार किए जा चुके हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक ने पक्षकारान में राजीनामा होने का कथन करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने पर आपत्ति प्रकट नहीं की है।

लेकिन विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में परिवादी पीडब्ल्यू 1 मनोज कुमार सागर जिसके भाई राहुल की मृत्यु हो गई, जो अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। घटना की रिपोर्ट के अनुसार रिछपाल वर्मा प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी था। रिछपाल वर्मा विद्वान विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने राहुल सागर की मृत्यु कारित की हो इस तथ्य को रिछपाल वर्मा ने अपने बयान में नहीं बताया है। मुख्य अभियुक्त कमल कुमार खींची उर्फ कमलेश का एकलपीठ आपराधिक विविध द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1462/2026 आदेश दिनांक 04.05.2026 को इस न्यायालय की समक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा अन्य सहअभियुक्तगण रोहित व अजय के जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश दांतारामगढ़ जिला सीकर, राजस्थान द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2026 को स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. शिवराज पुत्र श्री बाबूलाल 2. प्रियांशु उर्फ कानाराम पुत्र स्व. नरेन्द्र कुमार 3. रवि कुमार उर्फ वरूण पुत्र श्री ओमप्रकाश** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां

प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

KISHAN SONI/8-9